आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–91/2020
श्री दिनबन्धु पाण्डेय
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य
आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
18.01.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC संख्या–5388/2021 में 03.02.2022 को दिये गये आदेश के आलोक में श्री दिनबन्धु पाण्डेय के द्वारा यह सेवा अपील दायर की गयी है। 2. जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला श्री पाण्डेय के उपर लगाये गये आरोपों में लिये गये निर्णय से संबंधित है। 3. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी घोड़ासहन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–54 दिनांक–20.01.2018 से दीनबन्धु पाण्डेय, राजस्व कर्मचारी घोड़ासहन के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर जिला पदाधिकारी मोतिहारी को प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र में श्री पाण्डेय के उपर निम्न अवचार या कदाचार के लांछन लगाये गये है– "(i) श्री दीनबन्धु पाण्डेय, राजस्व कर्मचारी द्वारा अपने प्रभार के हल्का–06 घोड़ासहन की अवधि में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम–2011 एवं नियमावली में विहित प्रावधानों के विपरीत जानबूझकर दाखिल खारिज आवेदन सं0–050111022081501254, मौजा–घुघुआ अर्न्तगत खाता नं0–08, खेसरा नं0–2063, रकबा–04 धूर गलत प्रतिवेदन करते हुए गैरमजरूआ आम भूमि (सरकारी भूमि) का दाखिल खारिज की स्वीकृति करा दिया है और इस कृत्य से सरकार को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। श्री पाण्डेय द्वारा दाखिल खारिज आवेदन सं0–050111022081600218 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से संबद्ध कबीरपंथी मठ, घोड़ासहन की भूमि के नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा जान–बूझकर कर दिया है जब कि संबंधित मठ एक पब्लिक ट्रस्ट है इसकी पूरी जानकारी रखते हुए भी उनके द्वारा ऐसी गलती की गयी है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

दाखिल खारिज आवेदन सं0–050111022081600347 में गैरमजरूआ मालिक (सरकारी भूमि) के नामांतरण की स्वीकृति के लिए अनुशंसा श्री पाण्डेय द्वारा की गयी है।

उपरोक्त कृत्य सरकार को जानबूझकर हानि पहुंचाने का कृत्य है, जो बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली के विरूद्व है।

(ii) श्री दीनबन्धु पाण्डेय द्वारा कार्यालय आदेश पत्रांक–877 दिनांक–31.12.2016 जिससे हल्का का प्रभार देने का अनुपालन अब तक नही किया गया है। प्रभार सौपने हेतु श्री पाण्डेय को पत्रांक–08 दिनांक–09.01.2017, पत्रांक–25 दिनांक–16.01.2017, पत्रांक–780 दिनांक–25.09.2017, पत्रांक–844 दिनांक–16.10.2017, पत्रांक–70 दिनांक–30.01.2018 द्वारा लिखा गया किन्तु उनके द्वारा प्रभार नहीं सौपा गया, उनका यह आचरण स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता एवं Dereliction of duty का द्योतक है।

(iii) श्री पाण्डेय हल्का परिवर्तन के आदेश के पश्चात से बिना अनुमति के अनुपस्थित है, जिससे हल्का–06 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण राजस्व कार्य तथा खतियान कॅम्प्यूटराईजेशन, लोक शिकायत निवारण कार्य, राजस्व वसूली, आ0टी0पी0एस0 अर्न्तगत नामांकन एवं ऐल0पी0सी0 कार्य प्रभावित हुये है। उनका यह आचरण स्वेच्छाचारिता, घोर अनुशासनहीनता Dereliction of duty का परिचायक है तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है।

(iv) श्री पाण्डेय द्वारा अपने कार्यकाल के लगभग 02 वर्ष तक थाना सं0–05 की जमाबंदी पंजी न होने की बात छुपाई गयी। DLRMP तहत यह तथ्य सामने आया है। उनका यह आचरण Dereliction of duty है।

(v) श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक–04.02.2017 को अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण द्वारा हल्का निरीक्षण के दौरान नामांतरण हेतु प्राप्त वादों का सिर्फ जमाबंदी पंजी में दाखिल करने और खारिज नहीं करने का तथ्य प्रकट हुआ है, उनका यह आचरण स्पष्ट Dereliction of duty है तथा आचरण नियमावली के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

(vi) श्री पाण्डेय दिनांक–04.02.2017 को हल्का निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण द्वारा दिये गये मौखिक निदेश के बावजूद भी निरीक्षण हेतु

WEB COPY NOT OFFICIAL

जमाबंदी पंजी प्रस्तुत नहीं किये है और Duty से अनुपस्थित हो गये है। उनका यह आचरण घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है।''

4. प्राप्त आरोप पत्र पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक–597 दिनांक–12.04.2018 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, ढ़ाका को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी घोड़ासहन को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना के पत्रांक–32 दिनांक–25.01.2018 से संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं अनुशंसाा प्राप्त हुआ जिसका सार निम्न है ''श्री दीनबन्धु पाण्डेय निलंबित राजस्व कर्मचारी पर प्रपत्र–'क' में गठित आरोप सत्य प्रतीत होता है। अतएव अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसित किया जाता है'।

5. संचालन पदाधिकार से प्राप्त मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में श्री पाण्डेय से द्वितीय कारण पृच्छा जिला स्थापना शाखा के ज्ञापांक–268/स्था0 दिनांक–06.03.2019 से की गयी, जिसके आलोक में श्री पाण्डेय के द्वारा अपना कारण पृच्छा समर्पित किया गया जिसके गुण–दोष को समीक्षा कर जिला स्थापना शाखा, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक–1013 दिनांक–28.08.2020 से आदेश पारित किया गया है जिसका अंश निम्न है–

'तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री दीनबंधु पाण्डेय, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल घोड़ासहन द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी स्पष्टीकरण में जो बाते कही गयी है उसके अलावा कुछ नहीं कहा गया है।

उक्त आलोक में श्री पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत किये गये द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि श्री पाण्डेय पर अधिरोपित सभी आरोप प्रमाणित है जो उनके स्वेच्छाचारिता, दुःसाहस, अनुशासनहीनता तथा सरकारी आदेशो का अवहेलना तथा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रमाणित होता है। जो बिहार सरकारी सेवक नियमावली–1976 के नियम 3.1 (I) (II) (III) के प्रतिकूल है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए इस प्रकार का कृत्य गंभीर मामला है उन्हें कठोर दंड देना अनिवार्य हो गया है अन्यथा भष्ट्राचार एवं अराजकता

WEB COPY NOT OFFICIAL

को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकारी कर्मियों में गलत संदेश जायेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथा संशोधित के नियम–14 (XI) में निहित प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी सह–जिलादंडाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, श्री दीनबन्धु पाण्डेय, राजस्व कर्मचारी, अंचल घोड़ासहन आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्तया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड अधिरोपित करता हूँ।''

6. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक–1013 दिनांक–28.08.2020 के विरुद्ध श्री पाण्डेय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC संख्या–5388/2021 दायर किया गया जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है जिसका अंश निम्न है:'–

"Accodingly the present petition stands disposed of, resurving liberty to the petitioner to prefer an appeal before the appellate authorities within a period of eight weeks from the date of receipt of this order."

7. माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC संख्या–5388/2021 दिनांक–03.02.2022 के आदेश के आलोक में परिवादी श्री पाण्डेय के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर किया गया है।

8. श्री पाण्डेय के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक आँख और किडनी की बिमारी से ग्रसित है जिसके इलाज के लिए गुड़गांव जाने हेतु दिनांक–09.01.2017 को छुट्टी का आवेदन दिया गया जिसके बाद वे गुड़गांव चले गये और इलाज कराते रहें, इसी बीच दिनांक–21.01.2017 को आवेदक ने छुट्टी को बढ़ाने हेतु 25.01.2017 को गुड़गांव से आवेदन निबंधित डाक से अंचलाधिकारी, घोड़ासहन एवं अन्य को भेजा इसके पश्चात आवेदक दिनांक–25.01.2017 को वापस घोडासहन आ गयें साथ ही आवेदक का कहना है कि हल्का–06 का प्रभार वे प्रतिस्थानी राजस्व कर्मचारी को देना चाहते थें परन्तु तकनीकी समस्या से ऐसा नहीं हो पाया।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना परन्तु उनकी बातों से स्पष्ट नहीं हो सका कि आवेदक ने चिकित्सा के उपरान्त वापस आने पर प्रभार देने के लिए क्या प्रयास किया या प्रभार समर्पित नहीं

WEB COPY NOT OFFICIAL

कर पाने के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी अथवा नहीं। साथ ही आवेदक की ओर से पूर्व में विभागीय कार्यवाही एवं द्वितीय कारण पृच्छा में दिए गए तथ्यों से भिन्न किसी प्रकार का ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर विभागीय कार्यवाही के दौरान विचार ना किया गया हो। साथ ही सम्पूर्ण मामले के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री पाण्डेय द्वारा जानबूझकर बारम्बार सरकारी भूमि का नामांतरण निजी व्यक्ति के पक्ष में करते हुए सरकार को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

ऐसे आचरण वाले व्यक्ति के संबंध में जिला पदाधिकारी का निर्णय यथोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में किसी प्रकार की सत्यता प्रतीत नहीं होती है एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः सही प्रतीत होता है एवं मैं निम्न न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय से सहमत हूँ एवं निम्न न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को संपुष्ट किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL